को पेश हो।

18/8/21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित है। एवं प्रार्थी भी हाजिर नहीं है। मुकील प्रार्थी को फोन-2 कर आपने लगाई गयी हाजिर नहीं। लिखित प्रार्थना पत्र प्रार्थी वकील प्रार्थी की अदम हाजरी-अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। तथा न्यायालय द्वारा पारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 12/7/21 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसले हेतु होकर मूल पार्ट तैयार रहे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.10.08 17:33:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिका
रायसिंहनगर